मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/विविध/99/4122 भोपाल, दिनांक 08/02/2016

–::परिपत्र::–

म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र कमांक एफ–11–38/2015/1/9 दिनांक 11.01.2016 से पूर्व पत्र कमांक एम–19–21/(1990)/1/4 भोपाल दिनांक 09.04.1990 का संदर्भ देते हुए निर्देशित किया है कि सरकारी कार्यालयों, अर्द्धशासकीय निकायों, उपकमों तथा निगमों में तकनीकी और गैर तकनीकी सभी प्रकार का सरकारी कामकाज अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही किये जाये। केन्द्र तथा अन्य राज्यों से भी पत्र व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार निर्दिष्ट भाषा में ही किये जाने चाहिए। राज्य शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वैधानिक व्यवस्था तथा शासन के स्पष्ट और बारम्बार निर्देशों के बावजूद अंग्रेजी का उपयोग करने के प्रलोभन से बचा नहीं जा रहा है। यह देखने में आ रहा है कि अभी भी तकनीकी विषयों का बहाना लेकर अपने दैनिक सरकारी कामकाज, पत्र–व्यवहार, निमंत्रण–पत्र, नामपट्ट, सूचनाऐं, समाचार पत्रों में निविदाऐं, विज्ञप्तियॉ आदि के प्रकाशन तथा केन्द्र और अन्य राज्यों से सम्पर्क में अंग्रेजी का उपयोग करते है। शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त शासकीय कार्य, पत्र–व्यवहार अनिवार्यतः राजभाषा हिन्दी में ही किया जाए। केन्द्र शासन को भेजे जाने वाले पत्रों के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न कर दिया जाए और अन्य राज्यों से पत्र–व्यवहार संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही किया जाए। राज्य शासन के द्वारा यह भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि सभी विभाग, संचालनालय, निगम, उपकम या अर्द्धशासकीय संस्थान में कोई भी कार्यवाही अंग्रेजी में होती पाई जाती है तो उसे शासन के आदेशों की गंभीर अवहेलना तथा कदाचरण माना जाएगा और संबंधित अधिकारी के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. साथ ही म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र कमांक एफ 11–38/2015/1/9 दिनांक 11.01.2016 द्वारा निर्देशित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल में 12 सितम्बर 2015 को 10 वें विश्व हिन्दी सम्मेलन के समापन अवसर पर दिये गये निर्देशों के अनुरूप में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि "किसी अधिकारी/कर्मचारी को किसी प्रकार की शास्ति इस आधार पर नहीं हो सकेगी कि उसे अंग्रेजी नहीं आती। हिन्दी में काम करने के परिणाम स्वरूप यदि किसी को प्रताड़ना अथवा हतोत्साहित किया जाता है तो इस पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का माध्यम हिन्दी रखा जाए।

3. उक्त संबंध में म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय/तक.संभाग एवं कृषि उपज मण्डी समितियों में पदस्थ सभी अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उल्लेखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे साथ ही निविदा विज्ञप्ति को भी हिन्दी में जारी की जावे।

Rajesh_Paripathr

(1)

म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त आदेश का कडाई से पालन म.प्र.रा०प कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय/तकनीकी संभाग एवं कृषि उपज मण्डी समितियों में सुनिश्चित किया जावे। जिसके लिए शाखा प्रमुख तथा अधिनस्त कार्यालय के प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/विविध/99/4123 भोपाल, दिनांक 08/02/2016

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. - निज सचिव, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
2. अवर सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. अपर संचालक (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
4. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
5. संयुक्त संचालक/उपसंचालक मण्डी बोर्ड आंचलिक कार्यालय..............(समस्त)
6. संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी/सहायक यंत्री (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
7. कार्यपालन यंत्री मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग..............................(समस्त)
8. अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति........................जिला...........................।
9. समस्त अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय, आंचलिक कार्यालय................/तक.संभाग ......
10. सूचना पटल/समस्त शाखा........................मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल